नव भारत
राष्ट्रहित का प्रहरी 1934 से

बिल को राजनीतिक रंग न दें : मोदी

मेरी गारंटी है– निर्णय प्रक्रिया किसी के साथ भी भेदभाव नहीं करेगी

- विरोध करने वालों को महिलाओं ने माफ नहीं किया
- 'नारी शक्ति वंदन अधिनियम' पर लोकसभा में चर्चा

नई दिल्ली, 16 अप्रैल. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 'नारी शक्ति वंदन अधिनियम' पर लोकसभा में चर्चा के दौरान कहा कि हम देश को नई दिशा देने जा रहे हैं. ये 21वीं सदी का सबसे अहम बिल है.

उन्होंने कहा कि राष्ट्र के जीवन में कुछ महत्वपूर्ण पल आते हैं और उस समय की समाज की मन स्थिति और नेतृत्व की क्षमता उस पल को कैप्चर कर एक राष्ट्र की अमानत बना देती हैं. एक मजबूत धरोहर तैयार करती हैं. भारत के संसदीय इतिहास में ये वैसा ही पल है. महिलाओं को मिलने वाले इस अधिकार का जिस-जिसने विरोध किया है, महिलाओं ने उसे माफ नहीं किया है.संसद के विशेष सत्र में गुरुवार को हिस्सा लेने के लिए पीएम मोदी लोकसभा में पहुंचे. इस दौरान उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि आवश्यकता तो ये थी कि 25-30 साल पहले, जब ये विचार सामने आया तभी इसे लागू कर देते. आज हम इसे काफी परिपक्वता तक पहुंचा देते. आवश्यकतानुसार उसमें समय-समय पर सुधार होते और यही तो लोकतंत्र की खूबसूरती होती है. नारी शक्ति वंदन अधिनियम का जिक्र करते हुए पीएम मोदी ने अपील में कहा कि इस बिल को राजनीतिक रंग न दें.

मैं आज जिम्मेदारी के साथ सदन में कहना चाहता हूं कि चाहे दक्षिण हो, उत्तर हो, पूर्व हो, पश्चिम हो, छोटे राज्य हों या बड़े, मैं जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं कि यह निर्णय प्रक्रिया किसी के साथ भी भेदभाव नहीं करेगी. यह निर्णय प्रक्रिया किसी के साथ अन्याय नहीं करेगी. भूतकाल में जो सरकारें रही और जिनके कालखंड में जो परिसीमन हुआ और जो अनुपात चला आ रहा है, उस अनुपात में भी कोई बदलाव नहीं होगा और वृद्धि भी उसी अनुपात में होगी... ▶ शेष पेज 12 पर

संसद में प्रियंका गांधी ने की आरोपों की बौछार

वायनाड सांसद प्रियंका गांधी ने कहा कि कांग्रेस महिला सांसदों के लिए आरक्षण का समर्थन करती है, लेकिन बहस इस पर नहीं बल्कि इस तथ्य पर है कि इस विधेयक में राजनीति की बू आ रही है. महिलाओं के लिए आरक्षण का कदम वास्तव में केंद्र की एनडीए सरकार का पॉलिटिकल ट्रंप कार्ड है, जिसके जरिए वह चुनावों में लाभ लेना चाहती है. प्रियंका ने महिलाओं के आरक्षण के लिए पिछली कांग्रेस सरकारों द्वारा किए गए प्रयासों का खाका पेश किया. उन्होंने कहा कि देश में पंचायतों और नगर पालिकाओं में महिलाओं को 33 फीसदी आरक्षण का प्रावधान सबसे पहले राजीव गांधी की सरकार ने पेश किया था, लेकिन उस वक्त यह पारित नहीं हो पाया था. उन्होंने बीजेपी पर इस आरक्षण का विरोध करने का आरोप लगाया. प्रियंका ने कहा कि आज प्रधानमंत्री ने उस आरक्षण बिल का जिक्र किया, लेकिन हमेशा की तरह आधी बात ही बताई.

चाणक्य आज जिंदा होते तो वो भी चौंक जाते...

लोकसभा में गुरुवार को महिला आरक्षण और परिसीमन बिल पर चर्चा के दौरान कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने मजाकिया अंदाज में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर एक तंज कसा, जिसे सुनकर वह भी अपनी हंसी नहीं रोक पाए. उन्होंने कहा कि आज चाणक्य अगर आज जिंदा होते तो वो भी चौंक जाते, आपकी कुटिलता की दाद देते.

ओंकारेश्वर में पांच दिवसीय एकात्म पर्व का शुभारंभ आज

प्रशासनिक संवाददाता

भोपाल. भारतीय संस्कृति के पुनरुद्धारक और अद्वैत वेदांत के प्रखर प्रणेता आदि गुरु शंकराचार्य की दीक्षा स्थली ओंकारेश्वर में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव कल 17 अप्रैल से पांच दिवसीय एकात्म पर्व का मंगलमय शुभारंभ करेंगे. मांधाता पर्वत की कंदराओं में रचे-बसे एकात्म धाम में आयोजित यह महोत्सव दार्शनिक चिंतन, सांस्कृतिक चेतना और आध्यात्मिक ऊर्जा का अनूठा संगम होगा. वैशाख शुक्ल पंचमी के पावन अवसर पर आयोजित इस अनुष्ठान में देश-विदेश के शीर्ष संत, मनीषी और विद्वान सम्मिलित होकर एकात्मता के वैश्विक संदेश को रेखांकित करेंगे. मुख्यमंत्री डॉ. यादव अद्वैत लोक एवं अक्षर ब्रह्म प्रदर्शनी का लोकार्पण करेंगे साथ ही वैदिक अनुष्ठान में भी शामिल होंगे. इस अवसर पर द्वारका पीठाधीश्वर जगद्गुरु शंकराचार्य स्वामी सदानंद सरस्वती के पावन सान्निध्य तथा विवेकानंद केंद्र की उपाध्यक्ष पद्मश्री निवेदिता भिड़े, स्वामी शारदानंद सरस्वती की गरिमामय उपस्थिति रहेगी.

क्रॉस वोटिंग पर कांग्रेस सख्त, 5 विधायक सस्पेंड

चंडीगढ़, 16 अप्रैल. हरियाणा की राजनीति में उस वक्त हलचल मच गई जब कांग्रेस ने राज्यसभा चुनाव में कथित क्रॉस-वोटिंग के मामले में अपने पांच विधायकों को निलंबित कर दिया. यह कार्रवाई पार्टी की अनुशासनात्मक कार्रवाई समिति की सिफारिश पर की गई, जिसे कांग्रेस आलाकमान की मंजूरी भी मिल चुकी है।

पार्टी ने इसे अनुशासनहीनता के खिलाफ सख्त संदेश बताते हुए साफ कर दिया है कि संगठन के नियमों से कोई समझौता नहीं किया जाएगा. जिन विधायकों पर कार्रवाई हुई है, उनमें शैली चौधरी, रेनू बाला, मोहम्मद इलियास, मोहम्मद इसराइल और जरनैल सिंह शामिल हैं। इन पर आरोप है कि इन्होंने 16 मार्च को हुए राज्यसभा चुनाव में पार्टी के आधिकारिक उम्मीदवार के खिलाफ जाकर बीजेपी समर्थित निर्दलीय उम्मीदवार के पक्ष में वोट किया।

हालांकि, कुछ विधायकों ने इन आरोपों से इनकार किया था, लेकिन जांच के बाद पार्टी ने कड़ा कदम उठाया है। यह फैसला आने वाले समय में पार्टी अनुशासन को लेकर एक स्पष्ट संदेश माना जा रहा है. निलंबित किए गए विधायकों में शैली चौधरी (नारायणगढ़), रेनू बाला (साढौरा), मोहम्मद इलियास (पुन्हाना), मोहम्मद इसराइल (हथीन) और जरनैल सिंह (रतिया) शामिल हैं। इन सभी पर आरोप है कि इन्होंने 16 मार्च 2026 को हुए राज्यसभा चुनाव में पार्टी की आधिकारिक लाइन के खिलाफ जाकर वोटिंग की.

बताया जा रहा है कि इन विधायकों ने बीजेपी समर्थित निर्दलीय उम्मीदवार सतीश नांदल के पक्ष में मतदान किया, जिससे पार्टी की स्थिति को नुकसान पहुंचा.इस मामले की जांच अनुशासनात्मक कार्रवाई समिति के अध्यक्ष धर्मपाल मलिक की अगुवाई में की गई. समिति ने संबंधित विधायकों से जवाब तलब किया और उनके स्पष्टीकरण का अध्ययन करने के बाद अपनी रिपोर्ट प्रदेश अध्यक्ष को सौंपी. इसके बाद पार्टी आलाकमान की मंजूरी मिलने पर निलंबन का आदेश जारी किया गया.